<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री कपारो इन्जीनियरिंग इण्डिया प्रा0 लि0, 3 सी / 3 उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**098 / 11, 21.10.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री कपारो इन्जीनियरिंग इण्डिया प्रा0 लि0, 3 सी / 3 उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा द्वारा दिनांक 21.10.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि आटो के आउटर पार्ट्स का निर्माण व बिक्री किया जाता है। प्रान्त बाहर से निश्चित मात्रा में छोटे-छोटे साइज के लोहे की चादर के पीस जो कि आटो पार्ट्स के हिस्से होते हैं का आयात किया जाता है। इनके द्वारा यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे विशिष्ट आकार / आकृति एवं नाम से पहचान होने वाले लोहे की चादर के टुकड़ों को पुर्जे मानते हुए प्रान्त बाहर से आयात करने पर प्रवेश कर लगेगा अथवा नहीं।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 27.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर, सम्भाग-बी, नोएडा द्वारा पत्र संख्या-1045, दिनांक 15.12.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु उससे सम्बन्धित वैट इनवायस / एक्साइज इनवायसों के परीक्षण पर पाया गया कि विभिन्न आकार के सी0 आर0 शीट का आयात व्यापारी द्वारा किया जाता है। इनवायसों में आयातित वस्तु का नाम सी0 आर0 शीट और कहीं-कहीं आर0 एम0 एस0 लिखा हुआ है। आयातित वस्तु का नमूना देखने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त आयाताकार लोहे की शीट से कोई विशिष्ट वस्तु या पार्ट्स ही बनाया जा सकता है अपितु इससे कोई भी पार्ट बनाया जा सकता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर, सम्भाग-बी, नोएडा द्वारा आयातित माल के नमूने एवं सम्बन्धित इनवायसों के परीक्षणोपरान्त प्रेषित आख्या के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा विभिन्न साइज के सी0 आर0 शीट का आयात किया जा रहा है जिसमें आटो पार्ट्स के साथ-साथ कुछ भी बनाया जा सकता है। प्रार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। उनके द्वारा आयातित वस्तु के आटो पार्ट्स होने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत: प्रार्थी द्वारा आयातित वस्तु सी0 आर0 शीट होने के कारण उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित शेड्यूल के क्रमांक-14 पर वर्णित Iron & Steel as defined

सर्वश्री कपारो इन्जीनियरिंग इण्डिया प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-098 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2

in section-14 of Central Sales Tax Act के अन्तर्गत आच्छादित है। इस पर नियमानुसार प्रवेश कर का दायित्व होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर, सम्भाग-बी, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा आयातित वस्तु सी0 आर0 शीट है जो कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में यथा परिभाषित आयरन एण्ड स्टील के अन्तर्गत आच्छादित है। इस पर नियमानुसार प्रवेश कर की देयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 29 मार्च, 2014

ह0 / 29.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।